

30/10/25

उपय फ 34। इस न्यायालय के आदेश दिनांक
18.07.2025 के विरु मां राजस्व 4054 में किगरी
सं. 10242/2025 प्रस्तुत की गई है मां राजस्व 4054
द्वारा फांरु 15824 DT. 23/10/25 से यह पत्रावली
पाठी है पत्रावली मां 4054 को प्रेषित की जाए
संकर से कर हो

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)



GCMS
2019/00321

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला-श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक/राजस्व/प्रा.पत्र / 133 / 2019 / 30-10-25/ 6071

दिनांक : 30-10-2025

प्रेषित :-

क्षीभान निबंधु मल्लिक

राजस्व मण्डल राजस्वान

अजमेर

विषय: प्रकरण संख्या 133/2019 अनवान बैजयन्ती गौरह

बनाम श्योपराय व अन्य अन्तर्गत धारा 212 RTA

निर्णय दिनांक 18-07-2025 भिजवाने हेतु।

प्रसंग :- आपका पत्रांक तिग/टीए/2025/10242 जंगल/टीए/10-02-2026/15024

दिनांक 27/10/2025

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र द्वारा चाही गई पत्रावली संख्या 133/2019 (JCMRS No. 2019/0034)

अनवान बैजयन्ती गौरह बनाम श्योपराय व अन्य

अन्तर्गत धारा 212 RTA निर्णय दिनांक 18/07/2025 (OGR7 CPC को स्वीकार करने के लिए)

कुल पृष्ठ 26 इस पत्र के संलग्न आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपर्युक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ जिला (राज.)

सूरतगढ़